न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चौमा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस
मुकदमा नं0 3 / 35 / 17 निर्णय दिनांक : 30.05.2018

उनवान

1. धर्मवीर पुत्र सुहाराराम जाति ओड राजपूत निवासी ग्राम चौमा तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.....अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 290, 291, 294, 295, 1001, 1002 कुल किता 6 रकबा 1.64 हैक्ट0 व आराजी खसरा नम्बर 288, 289 कुल किता 2 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में प्रार्थी व उसके भाई का 1/2 भाग है और प्रार्थी व उसका भाई अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है। दिनांक 09.09.2017 को जब प्रार्थी क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया और जमाबन्दी आदि की नकले मांगी तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपका नाम पहचान पत्र व राशनकार्ड, आधार कार्ड में धर्मवीर है। और जमाबन्दी में धर्मचन्द दर्ज हो रहा है। जिसको दुरूस्त करना पडेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर आराजी हाल खसरा नम्बर 290, 291, 294, 295, 1001, 1002 कुल किता 6 रकबा 1.64 हैक्ट0 व आराजी खसरा नम्बर 288, 289 कुल किता 2 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में जहां–जहां प्रार्थी का नाम धर्मचन्द दर्ज है। उसको दुरूस्त किया जाकर धर्मवीर किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा में दिनांक 30.05.2018 को पेश हुई। साक्ष्य बाबत मौके पर प्रार्थी के भाई चेतराम पुत्र सुहाराराम जाति ओड

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

राजपूत निवासी चौमा ने अपने बयानों में कथन किया कि हम चेतराम, धर्मवीर, रूपचन्द पिता सुहाराराम तीनों सगे भाई है। जिसमें धर्मवीर की मृत्यु हो चुकी है। जिसको ग्राम चौमा की जमाबन्दी खाता सं0 230, 231 में धर्मचन्द नाम दर्ज है। जबकि वास्तविक नाम धर्मवीर है। उक्त खातों में धर्मचन्द के स्थान पर धर्मवीर शुद्ध नाम कर दिया जायें। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। एवं समस्त कानूनी एवं विधिक जिम्मेदारी मेरी होगी।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अवलोकन किया गया। मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थी के भाई के बयानात तथा पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं बयानात् के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 290, 291, 294, 295, 1001, 1002 कुल किता 6 रकबा 1.64 हैक्ट0 व आराजी खसरा नम्बर 288, 289 कुल किता 2 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी के कब्जे काश्त के खाने में जहां–जहां प्रार्थी का नाम धर्मचन्द दर्ज है। उसको दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम धर्मवीर ताहाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में दर्ज करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चौमा में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)